# झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

**डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–1118 वर्ष 2022**

1. बेबी देवी

2. पूरन मंडल .... ..... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य

2. उपायुक्त, पाकुड़

3. अनुमण्डल अधिकारी, पाकुड़

4. अंचलाधिकारी, पाकुड़

5. नगर परिषद्, पाकुड़ अपने अध्यक्ष श्रीमती शांता साहा के माध्यम से

6. समीर कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष, नगर परिषद्, पाकुड़

7. स्वाति दास, वार्ड आयुक्त, नगर परिषद्, पाकुड़

8. कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद्, पाकुड़

9. निर्मल कुमार भगत, बी0एन0 कंस्ट्रक्शन, नगर परिषद्, पाकुड़ के स्वामी

.... ..... उत्तरदातागण

**कोरम**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री ए0के0 सहानी

राज्य के लिएः—  श्री शुभम गौतम, जी0पी0—I के ए0सी0

04 / 11.07.2022  **आई0ए0 सं0 5365 / 2022**

वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन पूरन मंडल (याचिकाकर्ता के पति) को वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या—2 के रूप में जोड़ने के लिए याचिकाकर्ता संख्या—1 द्वारा दायर किया गया है।

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और वर्तमान अंतर्वर्ती आवेदन में वर्णित कारणों से पूरन मंडल को वर्तमान रिट याचिका में याचिकाकर्ता संख्या 2 के रूप में जोड़ने की अनुमति दी जाती है।

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने दिनभर में वर्तमान रिट याचिका के कॉज टाईटल में आवश्यक प्रविष्टि करने के साथ—साथ इस न्यायालय के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 की ओर से 250 / — रूपये का अतिरिक्त न्यायिक शुल्क जमा करने का वचन दिया है।

वर्तमान अंतर्वती आवेदन का निपटारा किया जाता है।

**डब्ल्यू0पी0 (सी) संख्या 1118 / 2022**

वर्तमान रिट याचिका खाता संख्या—524, प्लॉट संख्या—1939, मौजा—पाकुड़, थाना संख्या—128, होल्डिंग संख्या—91, जिला—पाकुड़, क्षेत्रफल—2 कट्ठा से संबंधित याचिकाकर्ताओं की रैयती भूमि को कानूनी रूप से प्राप्त किए बिना योजना संख्या—13 / 2021—22 के तहत पी0सी0सी0 रोड और पी0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण का कार्य

आदेश जो ज्ञापन संख्या–784 दिनांक 06.09.2021 (रिट याचिका के अनुलग्नक–4) में निहित को प्रतिवादी संख्या–8 के द्वारा प्रतिवादी संख्या–9 को किए गए आवंटन को रद्द करने के लिए दायर की गई है।

याचियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि कथित भूमि याची संख्या–2 द्वारा दिनांक 08.06.2006 के पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर मूल्यवान प्रतिफल के भुगतान पर खरीदी गई थी और उसके बाद उसे याची संख्या–2 के पक्ष में नामांतरण किया गया था और साथ ही सरकार को किराया का भुगतान करने पर किराया रसीदें भी जारी की गई थीं, याचिकाकर्ता सं0–2 ने कथित भूमि के कुछ हिस्से पर एक आवासीय घर का निर्माण किया है जो पक्के और कच्चे बाउंड्री से घिरा हुआ है। पाकुड़ नगर परिषद् को भी होल्डिंग टैक्स का भुगतान किया जा रहा है। याचिकाकर्ता योजना संख्या 13/2021–22 के तहत प्रत्यर्थी संख्या 9 को पी0सी0सी0 सड़क और पी0सी0सी0 ड्रेन के निर्माण का कार्य आवंटित करने के लिए प्रत्यर्थी संख्या 8 द्वारा दिनांक 06.09.2021 को जारी किए गए आक्षेपित कार्य आदेश से असंतुष्ट हैं, क्योंकि उक्त कार्य आदेश के जारी होने के बाद, प्रत्यर्थी संख्या 9 द्वारा कथित भूमि के चारों ओर की कच्ची दीवार को जबरदस्ती गिरा दिया गया है इस तथ्य को नजरअंदाज करते हुए कि यह एक रैयती भूमि है जो सरकार द्वारा किसी भी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए इसका अधिग्रहण नहीं किया गया है। याची सं0–1 ने कथित शिकायत प्रत्यर्थी सं0–2 के समक्ष उठाया, परन्तु उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया जिससे याचियों को वर्तमान रिट याचिका को प्रस्तुत करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पक्षकारों के विद्वान वकील को सुनने के बाद और वर्तमान रिट याचिका में की गई प्रार्थना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, मामले की योग्यता में प्रवेश किए बिना, याचियों को प्रत्यर्थी सं0–2 के समक्ष वर्तमान मुद्दे पर एक नया अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी जाती है। इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, प्रत्यर्थी सं0–2, याचिकाकर्ताओं/उनके प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने और जांच करने के बाद, यदि आवश्यक हो, कथित अभ्यावेदन दाखिल करने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कानून के अनुसार एक उचित सूचित निर्णय लेगा।

वर्तमान रिट याचिका तद्नुसार उपरोक्त स्वतंत्रता और निर्देश के साथ निपटाई जाती है।

(राजेश शंकर, न्याया0)